

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	---

३/७

तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि ग्राम रामाखेड़ा की जनाबन्दी खाता संख्या 97 में अराजी नम्बर 425/2 रकबा 0.7560 हैक्टेयर भूमि बगदी बई पति जन्नलाल पिता गणेश चमार (जटिय) हिस्सा बराबर सा10 वैह रकमपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्तमान नक्शा में तरमीम है खाता संख्या 153 में अराजी नम्बर 426/2 रकबा 0.7590 हैक्टेयर भूमि साजी पिता नानदे कालबंलिया निवासी नंगावली के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्तमान नक्शा में तरमीम दर्ज है एवं खाता संख्या 126 में अराजी नम्बर 411/2 रकबा 0.506 हैक्टेयर भूमि श्री मोती, नन्दा पिता वल्ला अहीर निवासी चकतिय के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्तमान नक्शा में तरमीम है साथ ही खाता संख्या 101 में अराजी नम्बर 427/2 रकबा 0.9490 है0 श्री भणरलाल नाथी बई हुडुडी बई प्रेम बई पिता वरव भुरी बई बंठ वरव कालबंलिया सा10 नंगावली के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्तमान नक्शा में तरमीम दर्ज नहीं है।

वर्तमान नक्शा में मूल अराजी नम्बर 2 में अराजी नम्बर 411/2 425/2 426/2 की तरमीम की हुयी है तथा अराजी नम्बर 427/2 रकबा 0.9490 की तरमीम करने हेतू शेष रकबा नहीं रहा है जबकि अराजी नम्बर 411/2 425/2 426/2 के आवंटित रकबा से अधिक रकबा की नक्शा में तरमीम होने से नक्शा में अराजी नम्बर 427/2 रकबा 0.9490 है0 भूमि की तरमीम करने हेतू नक्शा में रकबा शेष नहीं रहा है जबकि मौके पर अराजी नम्बर 2 में अराजी नम्बर 411/2 425/2 426/2 427/2 के खातेदारों का मौके पर कब्जा है व मौके पर आवंटित रकबा अनुसार कब्जा खातेदार का है मौके एवं कब्जे अनुसार नक्शा तरमीम का प्रस्तावित नक्शा ट्रेस नक्शा में तरमीम दुरस्ती किये जाने की अनुशंसा की है।

तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम रामाखेड़ा पटवार मण्डल पालखेड़ी के आराजी नम्बर 411/2, 425/2, 426/2, 427/2 रकबा 0.506, 0.7560 है0, 0.7590, 0.9490 है0 भूमि के क्षेत्रफल का तरमीम हेतू प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार पूर्व में सहवन से गलत की गई तरमीम को निरस्त करते हुए प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम कर नक्शा में शुद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रकी प्रेषण

मुमद्र वेक नम्बर से कर ले।  
उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला